न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

(21)

निगरानी /अ–6/2016–17

I/निगरानी/छतरपुर/भू-25/2017/2398

01. भगवानदास तनय श्री प्यारेलाल अहीर
02. मानंद तनय श्री प्यारेलाल अहीर
निवासीगण ग्राम बकस्वाहा तहसील बकस्वाहा
जिला छतरपुर म0प्र0 ....अपीलार्थी

बनाम

रखांलाल तनय श्री श्यामले यादव
निवासी ग्राम बकस्वाहा जिला छतरपुर म0प्र0 ....उत्तवादी

श्री ... द्वारा आज दि. ...7.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी बिजावर द्वारा प्रकरण कमांक 34/अपील/2016–17 आदेश दिनांक 13.06.2017 के विरूद्ध

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी पेश करता है–

निगरानी के तथ्य

01. यह कि भूमि खसरा नं0 15/2/2, 15/3, 15/4, 15/5, कुल किता 5 सामिल रकवा 2.832हे0 स्थित ग्राम बकस्वाहा तहसील बकस्वाहा की भूमि है जिसमें खातेदार पूर्व में संयुक्त हिस्सा अनुसार रंखालाल 1/2 भगवानदास, परमानंद, अमान, तनय श्री प्यारेलाल 1/2 तथा प्रत्येक 1/6 के हकदार थे। पूर्व मुददत से बटवारा होकर खसरा नं0 15/5 रकवा 1.618हे0 उत्तरवादी के हिस्से मे था तथा खसरा नं0 15/3 रकवा 0.405हे0 भगवानदास निगरानीकर्ता के कब्जे में व खसरा नं0 15/4 रकवा 0.404हे0 परमानंद निगरानीकर्ता 2 व हिस्से मे था खसरा नं0 15/2/2 रकवा 0.404हे0 अमान तनय प्यारेलाल के कब्जे मे था जो मुद्दत से बटवारा अनुसार कृषि कर रहे थे इस कारण संयुक्त खाते को प्रथक प्रथक दर्ज कराने बावत् सभी पक्षो ने सहमति के आधार पर नामांतरण पंजी 75/932 पर खाता प्रथक प्रथक कराने बावत् सहमति से आदेश पारित कराया जिसकी जानकारी रंखा को प्रारंभ से ही थी। पर अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर उत्तरवादीगणो निगरानीकर्ता को परेशान करने की नियत से यह अपील लगभग 8 वर्ष

क्रमशः//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2398 भगवानदास विरूद्ध रखांलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-09-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक अभिभाषक श्री चंद्रेश श्रीवास्तव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव को दिनांक 04-09-2018 को सुना गया । 3. आवेदक के अभिभाषक ने अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के प्रकरण क्रमांक 34/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 23-06-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 4. मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 23-06-2017 एवं प्रकरण में संलग्न नस्तियों का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी रखालाल तनय श्यामलाल यादव का परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत जो आवेदन स्वीकार किया गया है । उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से निगरानी अस्वीकार की जाती है, एवं अनुविभागीय अधिकारी बिजावर का आदेश यथावत रखा जाता है । सदस्य 11.9.18	